

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
सतर्कता अनुभाग

संदर्भ क्र.: 9/5/2017/सतर्कता/ 1123 - 1136

दिनांक: अक्टूबर 11, 2020

विषय : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें प्रभावशाली करने बाबत।

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली द्वारा उनके दिनांक 12.10.2020 के परिपत्र सं. 1/20(3)/2020-LS-II (प्रति संलग्न) द्वारा मार्गों अथवा रनवे के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्य एवं भूमिगत केबल कार्य में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित किया गया है। इसप्रकार दिनांक 01.10.2020 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें निम्नानुसार हैं:

कर्मचारियों की श्रेणी	दैनिक मजदूरी
अकुशल	₹ 534.00
अर्द्धकुशल	₹ 603.00
कुशल	₹ 707.00
उच्च-कुशल	₹ 777.00

2. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली के महानिदेशक द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन क्रमांक DG/SE/CM/CON/283 दिनांक 05/05/2015 के अनुसार यह सुनिश्चित करें कि आपके अधीन इस केन्द्र में चल रहे ठेके के कार्य में कार्यरत श्रमिकों को दिनांक 01.10.2020 से प्रभावी उक्त दरों के अनुसार ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा बैंक द्वारा अथवा ईसीएस या बैंक खाते में ऑनलाइन वेतन स्थानान्तरण के माध्यम से निर्धारित दिन पर किया जा रहा है।

3. ठेकेदार को कृपया यह निर्देश दें कि दिनांक 01.10.2020 से प्रभावी उक्त न्यूनतम मजदूरी का भुगतान बैंक द्वारा अथवा ईसीएस या बैंक खाते में ऑनलाइन वेतन स्थानान्तरण के माध्यम से करें एवं उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से दें।

(हस्ताक्षर)
18/10/20 20

(डी. सी. मीना)

प्रशासनिक अधिकारी- III

1. समस्त समूह निदेशक, आरआरकेट
2. मुख्य अभियंता, सेवा एवं निर्माण विभाग, आरआरकेट,
3. अधीक्षण अभियंता, विद्युत, आरआरकेट
4. अधीक्षण अभियंता, सिविल, आरआरकेट
5. प्रभारी, उद्यान प्रकोष्ठ, आरआरकेट
6. उप नियन्त्रक (लेखा), आरआरकेट
7. भण्डार अधिकारी, आरआरकेट
8. क्रय अधिकारी, आरआरकेट
9. लेखा अधिकारी (बजट), आरआरकेट
10. सहायक कार्मिक अधिकारी (सामान्य/ यात्रा प्रकोष्ठ), आरआरकेट
11. सहायक लेखा अधिकारी (वेतन), आरआरकेट

अनुरोध है कि कृपया इस आदेश की एक प्रति संबंधित प्रभाग/अनुभाग के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करें।